न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 186 सन 2019

अनवान :–

1. मु0 सन्तोष पुत्री मनफुल पत्नी ताराचन्द जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. राजेश पुत्र रामकुमार जाति गुसाई निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. प्रेमकुमार पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)
4. शिशपाल पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)

वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री मनीदेवी पत्नी सतीश जाति गुसाई निवासी जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा।
2. रामकिशन पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरु
3. केदारगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरु
4. श्योलगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरु
5. सन्तोष पुत्र मनीदेवी पत्नी लादूराम जाति गुसाई निवासी मसीतावाली हैड तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. मीरा पत्नी मनफुल जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा।
7. गुडडी पुत्री इन्द्राज पत्नी मोहरसिंह जाति गुसाई साकिन बास काजन तहसील राजगढ
8. कलावती पत्नी रामकुमार जाति गुसाई निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. प्रेमलता पुत्री रामकुमार पत्नी जयसिंह जाति गुसाई साकिन ढाणी राजू तहसील हाँसी जिला हिसार
10. फुलादेवी पत्नी बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा
11. बिमला पुत्र बलवीर पत्नी महेन्द्र जाति गुसाई साकिन मलवास तहसील राजगढ(चुरु)
12. भागवन्ती पुत्री बलवीर पत्नि भीम जाति गुसाई निवासी मलवास तहसील राजगढ(चुरु)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 19·8·19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आशय का पेश किया गया की प्रभूराम पुत्र माडूराम (फोत) एवं धापा पत्नी प्रभूराम (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिस मनफुल , इन्द्राज , बलवीर , पुत्रगण एवं मनीदेवी पुत्री कुल 4 वारिस हुए जिसमें से मनफुल इन्द्राज बलवीर पुत्रगण प्रभराम एवं मनीदेवी पुत्री प्रभराम चारो का देहान्त हो चुका है मनफुल के जायज वारीस वादिया संख्या 1 व प्रतिवादीया न0 6 ही है इन्द्राज के जायज वारिस रामकुमार पुत्र व प्रतिवादी न0 7 ही है जिसमें रामकुमार फोत हो गया रामकुमार के जायज वारिस वादी न0 2 एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 ही है बलवीर के जायज वारिसान वादी संख्या 3 ,4 व प्रतिवादीया संख्या 10 ता 12 है एवं मनीदेवी पुत्री प्रभुराम के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है।

रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि मे वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 बहिब 3/16 हिस्सा एव रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिब 9/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4 2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 का बहिब 74–73/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

मनीदेवी पुत्री प्रभूराम के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 2 व वादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में तर्क कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 1 के पक्ष मे तर्क कर दिया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने विवादित भूमि में अपने हक हिस्सा को वादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को जो भी विवादित भूमि में हक हिस्सा था वह वादीगण के पक्ष में तर्क किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को काफी मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने वाद भूमि मे जो हक हिस्सा था उसे वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया वादीगण ने साक्ष्य में अपना शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया पेरोकार राज प्रतिवादी संख्या 13 ने जवाब पेश किया की वादीगण अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रभूराम पुत्र माडूराम (फोत) एवं धापा पत्नी प्रभूराम (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिस मनफुल , इन्द्राज , बलवीर , पुत्रगण एवं मनीदेवी पुत्री कुल 4 वारिस हुए जिसमें से मनफुल इन्द्राज बलवीर पुत्रगण प्रभराम एवं मनीदेवी पुत्री प्रभराम वारो का देहान्त हो चुका है मनफुल के जायज वारीस वादिया संख्या 1 व प्रतिवादीया न0 6 ही है इन्द्राज के जायज वारिस रामकुमार पुत्र व प्रतिवादी न0 7 ही है जिसमें रामकुमार फोत हो गया रामकुमार के जायज वारिस वादी न0 2 एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 ही है बलवीर के जायज वारिसान वादी संख्या 3 ,4 व प्रतिवादीया संख्या 10 ता 12 ही है एवं मनीदेवी पुत्री प्रभुराम के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है। मनीदेवी पुत्री प्रभूराम के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी संख्या 2 व वादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में तर्क कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने विवादित भूमि में अपने हक हिस्सा को वादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी संख्या 3 ,4 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को जो भी विवादित भूमि में हक हिस्सा था वह वादीगण के पक्ष में तर्क किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। रोही मौजा ललानाबारा दिखनादा के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 बहिब 3/16 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबारा श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिब 9/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा ललानाबारा श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4.2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 का बहिब 74–73/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने इकबालदावा भी पेश किया जा चुका है एवं पेरोकार राज ने भी वादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है इसप्रकार वादीगण के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीगण अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखानादा के खाता संख्या 49/52 के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि प्रभूराम पुत्र माडूराम के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक व रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4.2640हैक भूमि प्रभूराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज है।

प्रभूराम पुत्र माडूराम (फोत) एवं धापा पत्नी प्रभूराम (फोत) हो चुके है जिसके जायज वारिस मनफुल , इन्द्राज , बलवीर , पुत्रगण एवं मनीदेवी पुत्री कुल 4 वारिस हुए जिसमें से मनफुल इन्द्राज बलवीर पुत्रगण प्रभराम एवं मनीदेवी पुत्री प्रभराम चारो का देहान्त हो चुका है मनफुल के जायज वारीस वादिया संख्या 1 व प्रतिवादीया न0 6 ही है इन्द्राज के जायज वारिस रामकुमार पुत्र व प्रतिवादी न0 7 ही है जिसमें रामकुमार फोत हो गया रामकुमार के जायज वारिस वादी न0 2 एव प्रतिवादी संख्या 8 ,9 ही है बलवीर के जायज वारिसान वादी संख्या 3 ,4 व प्रतिवादीया संख्या 10 ता 12 ही है एवं मनीदेवी पुत्री प्रभुराम के जायज वारिस प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 ही है जो प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है। अर्थात प्रभूराम पुत्र माडुराम के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ही है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों तथा पेरोकार राज के द्वारा भी वादीगण के वाद का विरोध नही किया गया है वादीगण के वाद से राज्यहकों को भी किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वादीगण को वाद प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 बहिब 3/16 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिब 9/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4.2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 84-1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 84-1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 का बहिब 74-73/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। मृतक प्रभूराम पुत्र माडूराम, मनीदेवी पुत्री प्रभूराम रामकुमार पुत्र इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाता है अन्य मुश्तरका खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.8.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6 -7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मु0 सन्तोष पुत्री मनफुल पत्नी तारावन्द जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा ।
2. राजेश पुत्र रामकुमार जाति गुसाई निवासी दोलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. प्रेमकुमार पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)
4. शिशपाल पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)

वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री मनीदेवी पत्नी सतीश जाति गुसाई निवासी जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा ।
2. रामकिशन पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
3. केदारगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
4. श्योलगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवारी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
5. सन्तोष पुत्र मनीदेवी पत्नी लादूराम जाति गुसाई निवासी मसीतावाली हैड तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. मीरा पत्नी मनफुल जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा।
7. गुडडी पुत्री इन्द्राज पत्नी मोहरसिह जाति गुसाई साकिन बास काजन तहसील राजगढ
8. कलावती पत्नी रामकुमार जाति गुसाई निवारी दोलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. प्रेमलता पुत्री रामकुमार पत्नी जयसिह जाति गुसाई साकिन ढाणी राजू तहसील हॉसी जिला हिसार
10. फुलादेवी पत्नी बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा
11. बिमला पुत्र बलवीर पत्नी महेन्द्र जाति गुसाई साकिन मलवास तहसील राजगढ(चुरू)
12. भागवन्ती पुत्री बलवीर पत्नि भीम जाति गुसाई निवासी मलवास तहसील राजगढ(चुरू)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 186 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19.8.19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 बहिब 3/16 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिब 9/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4.2640हैक भूमि में वादी न0 1 का 84 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 का बहिब 74–73/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। मृतक प्रभूराम पुत्र माडूराम, मनीदेवी पुत्री प्रभूराम रामकुमार पुत्र इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाता है अन्य मुश्तरका खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 19.8.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मु0 सन्तोष पुत्री मनफुल पत्नी ताराचन्द जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा ।
2. राजेश पुत्र रामकुमार जाति गुसाई निवासी दोलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. प्रेमकुमार पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)
4. शिशपाल पुत्र बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा (सिरसा)

वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री मनीदेवी पत्नी सतीश जाति गुसाई निवासी जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा ।
2. रामकिशन पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
3. केदारगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
4. श्योलगिर पुत्र खीवगिर जाति गुसाई निवासी बास काजन तहसील राजगढ जिला चुरू
5. सन्तोष पुत्र मनीदेवी पत्नी लादूराम जाति गुसाई निवासी मसीतावाली हैड तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. मीरा पत्नी मनफुल जाति गुसाई साकिन जोधका तहसील सिरसा जिला सिरसा।
7. गुडडी पुत्री इन्द्राज पत्नी मोहरसिह जाति गुसाई साकिन बास काजन तहसील राजगढ
8. कलावती पत्नी रामकुमार जाति गुसाई निवासी दोलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. प्रेमलता पुत्री रामकुमार पत्नी जयसिह जाति गुसाई साकिन ढाणी राजू तहसील हॉसी जिला हिसार
10. फुलादेवी पत्नी बलवीर जाति गुसाई निवासी रामपुरा ढिल्लों तहसील सिरसा
11. बिमला पुत्र बलवीर पत्नी महेन्द्र जाति गुसाई साकिन मलवास तहसील राजगढ(चुरू)
12. भागवन्ती पुत्री बलवीर पत्नि भीम जाति गुसाई निवासी मलवास तहसील राजगढ(चुरू)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 186 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19.08.2019

आज यह वाद तहहसीलदार नोहर के प्रतिवेददन पर मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 402 की 7.4870हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा , वादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 बहिव 3/16 हिस्सा एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 170 की 10.0280हैक भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 बहिव 9/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 114 की 4.2610हैक भूमि में वादी न0 1 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का 84–1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ,4 का बहिव 74–73/40 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। मृतक प्रभूराम पुत्र माडूराम, मनीदेवी पुत्री प्रभूराम रामकुमार पुत्र इन्द्राज का नाम कलमजन किया जाता है अन्य मुश्तरका खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.7.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner